



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 509]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018—भाद्र 29, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्र. एफ ए-3-24-2018-1-पांच (80).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर को उनके नाम के समुख कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट संभाग के लिये अतिरिक्त सहायक आयुक्त नियुक्त करती है, तथा संभाग में लंबित तथा उद्भूत होने वाले कर निर्धारण प्रकरणों को निपटाने की शक्तियां प्रदान करती है। यह दायित्व उनके वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त होगा:—

सारणी

अ. क्र.	सहायक आयुक्त का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	संभाग
(1)	(2)	(3)
1	श्री चन्द्रशेखर चौहान, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर एंटी इवेजन ब्यूरो, गवालियर.	गवालियर संभाग-1 एवं 2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्र. एफ ए-3-24-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-24-2018-1-पांच (80), दिनांक 20 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 20th September 2018

No. F. A. 3-24-2018-1-V-(80).—In exercise of the powers, conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002). The State Government, hereby, appoints the Assistant Commissioner of Commercial Tax mentioned in Column (2) of the Table below as Additional Assistant Commissioner for the division specified in column (3) and confer the powers to dispose of the assessment cases pending or arising in the division. This responsibility shall be in addition to their present responsibilities namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Assistant Commissioner and Present Posting (1)	Division (2)	(3)
1	Shri Chandrashekhar Chouhan, Assistant Commissioner, Commercial Tax, AEB, Gwalior.		Gwalior Division-1 & 2

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.